फर्द अहकाम

सरकार बनाम हरिनारायण

प्र.पत्र 136

नाम न्यायालय

संख्या 169/2019

2019/00665

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.7-18	प्रार्थना-पत्र तहसीलदार चाकसू ने ग्राम पंचायत 2072-75 की खाता सं. 163 की शुद्धि किये जाने का पेश किये जाने पर पटवारी चाकसू से सुना गया व प्र.पत्र का अवलोकन किया गया तो तहसीलदार की अनुशंसा एवं प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार प्र.पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्र.पत्र 136 में उल्लेखित स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत 2072-75 की खाता सं. 163 में अंकित प्रविष्टि के स्थान पर हरिनारायण समकिशन अर्जुन पिता गोकी हि. 5/12, सुखलाल पुत्र मोहन हि. 1/24, श्रीकृष्ण पुत्र मोहन हि. 1/24, रामधनी पत्नि श्रीलाल गोपाल चन्द्रभान पुत्र आदेश हि. श्रीराम हि. 1/12 दर्ज किये जाने में आदेश होने अनुसार शुद्धि किये जाने में आदेश हुआ है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] 91 खातेदारान में [illegible] का होना [illegible] निर्णय की [illegible] तहसीलदार चाकसू [illegible] किया जावे। पश्चात्वर्ती बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

11/7/18

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:06 IST
Reason: SelfAttested